

Government of India

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Notification

New Delhi, the _____, 2016

G.S.R. --- In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in Engineering Wing of the Central Reserve Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- 1. Short title and commencement. ---** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Engineering Officers (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application. --** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Definitions. --** In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Government" means the Government of India;
 - (b) "Scheduled Castes", and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;
 - (c) words and expressions used herein but not defined, shall have the meanings respectively assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.
- 4. Number of posts, classification and level in the pay matrix—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Initial constitution --

(1) Officers holding posts mentioned in the Schedule on the date of commencement of these rules on regular basis, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of officers referred in sub-rule (1) in the respective grades immediately before commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

7. Seniority. -- (1) All officers holding a higher rank shall be senior to officers holding a lower rank.

(2) Seniority of officers appointed to any post in a particular rank shall be determined in accordance with the orders of the Government issued from time to time.

8. Appointment. --- Officers who have completed their qualifying or eligibility service as prescribed in the Schedule annexed to these rules, shall only be considered for appointment or promotion or deputation to the grade or grades provided they are in Medical Category SHAPE-I as specified under the Standing Order No. 04 of 2008 dated 15th December, 2008 and subsequent amendments issued by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time.

9. Liability of service. -- A person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

10. Other conditions of service. -- The Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955 shall be applicable to the persons appointed under the provision of these recruitment rules in respect of conditions of service not specifically provided for in these recruitment rules.

11. Disqualification --- No person-

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having spouse living or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts provided :

that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 12. Ineligibility of aliens.---** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed, under these rules :

Provided that nothing contained in these rules shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal, or Bhutan under these rules.

- 13. Superannuation. ---** The officers holding the posts higher than that of the Commandant and above shall retire from service on the afternoon of the day of the month in which they attain the age of sixty years, and other officers shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years :

Provided that an officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month, on attaining the age of sixty years or fifty seven years, as the case may be.

- 14 Power to relax. --** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

- 15 Saving. ---** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Deputy Inspector General (Engineer)	1*(2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Level 13-A	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation. (For Ex-servicemen: Deputation/ Re-employment).

	(11)	(12)	(13)
	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
	By promotion: Commandant (Engineer) in level 13 in the pay matrix, with two years' regular service in the grade and having twenty years'	(i) Secretary/Special Secretary Ministry of Home Affairs - Chairman (ii) Director General, Central	Not applicable.

	<p>regular service in Group ‘A’ in the Central Reserve Police Force and possessing degree in Civil Engineering from a recognised university or Institution who have successfully completed their pre-promotion course (Senior Command Management Course).</p> <p>Note: 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note: 2 For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations was extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.</p>	<p>Reserve Police Force - Member</p> <p>(iii) ne Director General from other Central Police Organisation (to be nominated by the Chairman) - Member</p> <p>(iv) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -- Member</p> <p>(v) Joint Secretary, Department of Economic Affairs - Member</p>	
--	---	---	--

By Deputation:

- (a) (i) Officers of the Central or the State Government holding analogous posts ; or
- (ii) with two years' regular service in posts in level 13 in the pay matrix in the Central or the State Government ; and
- (b) (i) having degree in Civil Engineering or equivalent ; and
- (ii) with twelve years' experience of civil work.

Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation to another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the

corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

For Ex-servicemen : Deputation/Re-employment :

The Armed Force personnel (i) who have held the rank of Brigadier or equivalent in the Corps of Engineers in the Army or Air Force or Navy; or (ii) who have held the rank of Colonel or equivalent in the Corps of Engineers in the Army or Air Force or Navy with minimum four years' regular service in the grade with a total of twenty years' Group 'A' service and the Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note : The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

2.	Commandant (Engineer)	4*(2016) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non- Ministerial)	Level 13	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation. (For Ex- servicemen: Deputation/ Re- employment.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

	(11)	(12)	(13)
	<p>By Promotion: Deputy Commandant (Engineer) of Central Reserve Police Force in level 11 in the pay matrix with ten years' regular service in the grade and total of fifteen years in Group 'A' service and possessing a degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institution and have successfully completed pre-promotion course (Junior Command Management Course with Subject of e-Governance Building by Laws and Building Electrification and Middle Command Management Course).</p> <p>Note: 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :-</p> <p>(i) Director General, Central Reserve Police Force – Chairman</p> <p>(ii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -- Member</p> <p>(iii) Inspector General, Central Reserve Police Force – Member</p> <p>(iv) Inspector General, Central Reserve Police Force - Member</p>	Not applicable

Note: 2 For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations was extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

By Deputation:

- (a) (i) Officers of the Central or the State Government holding analogous posts on a regular basis ; or
 - (ii) with five years' regular service in level 12 in the pay matrix; or
 - (iii) with ten years' regular service in level 11 in the pay matrix; and
- (b) (i) having total of fifteen years' of service in Group 'A' in the Central or the State Government ; and
 - (ii) possessing degree in Civil Engineering with ten years' experience of civil work.

Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been

<p>extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.</p> <p>For Ex-servicemen : Deputation/Re-employment :</p> <p>The Armed Force personnel in the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in the Corps of Engineers in the Army or Air Force or Navy due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualification prescribed above shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note : The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.</p>		
---	--	--

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.	Commandant (Architect)	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial)	Level 13	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation	
	(11)									(12)	(13)
	<p>By Deputation</p> <p>Officers of the Central or State Government Departments :</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) (a) holding analogous post on regular basis ;</p> <p style="margin-left: 40px;">or</p> <p style="margin-left: 20px;">(b) with five years' regular service in level 12 in the pay matrix ;</p>									Not applicable	Not applicable

or

(c) with ten years' regular service in level 11 in the pay matrix ;

and

(ii) (a) possessing degree in Architecture from a recognised University or Institution and registered with Council of Architecture under the Architecture Act, 1972 (20 of 1972);

and

(b) having ten years' experience in execution of Architectural work.

Note: 1 The period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years on the closing date of receipt of application.

Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

For Ex-Servicemen : Deputation/Re-employment :

The Armed Force personnel in the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in the Corps of Engineers(Architect) in the Army or Air Force or Navy due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualification prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note : The maximum age limit for eligibility of re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Deputy Commandant (Engineer)	11*(2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial)	Level 11	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation. (For Ex-servicemen : Deputation/ Re-employment)

(11)	(12)	(13)
<p>By Promotion: Assistant Commandant (Engineer) of Central Reserve Police Force with five years' regular service in level 10 in the pay matrix who have successfully completed their pre-promotion course (Field Engineering and Demolition Course and Quarter Master /Motor Transport Officer Course).</p> <p>Note: 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note: 2 For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :--</p> <p>(i) Director General, Central Reserve Police Force, Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member (iii) Deputy Inspector General (Personnel), Central Reserve Police Force – Member (iv) Deputy Secretary/Director, Ministry of Home Affairs- Member</p>	Not applicable

January 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations was extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

By Deputation:

Officers of Central or the State Government Departments -

- (i) (a) holding analogous posts on regular basis ; or
(b) with five years' regular service in level 10 in the pay matrix); and

- (ii) (a) possessing a degree in Civil Engineering with five years' experience in execution of civil works.

Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty two years as on the date of receipt of application.

Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.

<p>For Ex-Servicemen : Deputation/Re-employment :</p> <p>The Armed Force personnel in the rank of Major in the Army or Para Military Force officers holding equivalent or analogous posts or State Police officers holding the post of Superintendent of Police or equivalent posts, due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note : The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty two years on the date of receipt of application</p>	
---	--

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Assistant Commandant (Engineer)	40* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial)	Level 10	Not Applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of

						Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep)
--	--	--	--	--	--	--

(7)						(8)	(9)
Essential						Not applicable	Two years for promotes and direct recruits
(a) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognised University ; and							
(b) Having the following physical medical standard :							
(i)	Height	165 Centimetres					
(ii)	Chest	81 Centimetres (Unexpanded) (Expanded 86 Centimetres)					
(iii)	Weight	According to height but not less than 46 Kgs					
(iv) Eye Sight :							
Visual Acuity corrected (NEAR VISION)		Corrected visual acuity (DISTANT VISION)		Refraction	Color Vision	Remarks	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye				
N 6	N 9	6/9 Or 6/12	6/9 Or 6/12	Hypermetropia : + 3.50 DS, Myopia :- 4.5 DS (including Astigmatism+/-1.50) Note. Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes	Should not be colour blind.	-In right handed person, the right eye is better eye and vice versa -Binocular vision is required Lasik surgery correction is permitted subject to prescribed criteria mentioned in table-L(MHA UO -F/No. 1-145024-1-2008/Pers-II dated 18/5/2012 attached with Annexure-I) However no redial keratotomy(RK) or any other refractive surgery is permitted except Lasik.	

				<p>relaxations is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant 1. + 1 DS up to 40 years 2. + DS up to 50 years 3. + 3 DS 51-60 years and above.</p>					
<p>Note : The candidate must not have knock knee, flat foot and varicose vein. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>									

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) 85% by direct recruitment;</p> <p>(ii) 15% by promotion failing which by deputation. (For Ex-Servicemen. Deputation /Re-employment).</p>	<p>By Promotion</p> <p>From amongst Inspector (Overseer) of Central Reserve Police Force with three years' regular service in level 7 in the pay matrix and have qualified in pre-promotion course (Assistant Commandant Promotional Course).</p> <p>Note: 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>(A) The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Director General, Central Reserve Police Force – Chairman</p> <p>(ii) Additional Director General/ Inspector General of any Central Para Military Forces – Member</p> <p>(iii) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member</p>	<p>Not Applicable.</p>

	<p>Note: 2 For the purpose of computing the minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations was extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission</p> <p>By Deputation :</p> <p>(a) (i) From amongst the officers of the Central or State Public Works Department or Central Armed Police Force holding analogous posts on regular basis or with three years' regular service in the level 7 in the pay matrix, and possessing the qualification required for direct recruits as prescribed in column (7).</p> <p>Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty two years on the date of receipt of application.</p> <p>Note: 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the</p>	<p>(iv) Deputy Inspector General of any Central Para Military Forces – Member.</p> <p>(B) The Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :-</p> <p>(i) Director General, Central Reserve Police Force – Chairman</p> <p>(ii) Additional Director General/ Inspector General of any Central Para Military Forces – Member</p> <p>(iii) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>(iv) Deputy Inspector General of any Central Para Military Forces – Member.</p>	
--	--	---	--

	<p>service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendation of the said Pay Commission.</p> <p>For Ex-Servicemen : Deputation/Re-employment :</p> <p>The Armed Force personnel in the rank of Captain in the Army or Assistant Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police in a State due to retire or who are to be transferred to reserve with a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereby they may be continued on re-employment.</p> <p>Note : The maximum age limit for eligibility of re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--

File No M.V-1/2014-P/Cell/Estt/CRPF
()
Director(Pers) MHA.

भारत के राजपत्र, भाग—II, खण्ड—3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2016

सा.का.नि. — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के इंजीनियरी विंग में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंजीनियरी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियमावली 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "सरकार" से अभिप्राय भारत सरकार से हैं,
 - (ख) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का अभिप्राय वही है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) क्रमशः में निर्दिष्ट किया गया है।
 - (ग) इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां, परन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अभिप्राय होगा जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1955 में निर्धारित किया गया है।
4. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स का स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि — भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. प्रारंभिक संरचना :-

- (1) इन नियमों के नियमित आधार पर प्रारम्भ होने की तिथि को अनुसूची में वर्णित पद धारण कर रहे अधिकारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त समझा जाएगा।
- (2) इन नियमों के आरम्भ होने से तुरंत पहले संबंधित श्रेणियों में उप नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की सेवा में परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा, स्थायीकरण और पेंशन के प्रयोजन हेतु नियमित निरंतर सेवा को ध्यान में रखा जाए।

7. वरिष्ठता :-

- (1) उच्च पद धारण कर रहे सभी अधिकारी निम्न पद धारण कर रहे अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे।
- (2) किसी पद के लिये नियुक्त अधिकारियों की किसी विशिष्ट पद में वरिष्ठता को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8. नियुक्ति :- ऐसे अधिकारी, जिन्होंने इन नियमों में अनुबद्ध अनुसूची में निर्धारित उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, केवल उन्हें ही उस श्रेणी अथवा श्रेणियों में नियुक्ति अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी स्थायी आदेश सं0 04/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 और महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो।

9. सेवा दायित्व :- इन नियमों के अंतर्गत किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्ति भारत अथवा देश से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. सेवा की अन्य शर्तें :- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1955, इन भर्ती नियमों में सेवा की उन शर्तों के संबंध में जो विशिष्ट रूप से इन भर्ती नियमों में नहीं दर्शाई गई है, के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होगा।

11. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3

12. गैर भारतीय नागरिकों की निरर्हता :- किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के नियुक्त नहीं किया जाएगा :-

तथापि इन नियमों में विहित कोई भी बात नेपाल, अथवा भूटान के नागरिकों को इन नियमों के अधीन बल में नियुक्त या नियोजित करने से वर्जित नहीं कर सकेगी।

13. सेवानिवर्तन :- कमान्डेंट पद से उच्चतर पद धारण कर रहे अधिकारी जिस महीने में 60 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे और अन्य अधिकारी जिस महीने में 57 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, उस महीने में अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

बशर्ते कि जिस अधिकारी की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को है वह 60 अथवा 57 वर्ष की आयु, जैसा भी स्थिति हो, पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप महानिरीक्षक (इंजीनियर)	1* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर -13 - क	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(भूतपूर्व सैनिकों के लिए :
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से)

प्रोन्नति द्वारा :

ऐसे कमान्डेंट (इंजीनियर), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह 'क' में बीस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री है और जिन्होंने निर्धारित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम (सीनियर कमान्ड मैनेजमेंट कोर्स) को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

टिप्पण 1. - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. - प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले, जिस तारीख से सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

- क. (1) सदृश पदधारण किए हुए केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी, अथवा,
(2) केन्द्र या राज्य सरकार में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 के पद में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा

- ख. (1) सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक या समकक्ष हों। तथा
(2) सिविल कार्यों का 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	<p>टिप्पणी 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले, जिस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से :-</p> <p>सशस्त्र बलों के कार्मिकों में से –</p> <p>(i) जो सेना या वायु सेना या नौसेना में इंजीनियर कोर में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जो सेना या वायु सेना या नौसेना में इंजीनियर कोर में कर्नल या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम 4 वर्ष नियमित और समूह 'क' में कुल 20 वर्ष सेवा की है और सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक साल की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त होने हैं अथवा स्थानांतरण के लिए रिजर्व में रखे गए हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभाग और उपर्युक्त निर्धारित अर्हताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार के व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति प्रदान की जाएगी जिस तिथि को वे सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त किए जाते हैं, उसके उपरांत वे निरन्तर पुनर्नियोजित रह सकते हैं।</p> <p>नोट:- पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>(i) सचिव/विशेष सचिव, गृह मंत्रालय – अध्यक्ष</p> <p>(ii) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य</p> <p>(iii) किसी अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठन का एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा) – सदस्य</p> <p>(iv) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य</p> <p>(v) संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग – सदस्य</p>	लागू नहीं है

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद
2.	कमान्डेंट (इंजीनियर)	4* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर - 13	चयन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति द्वारा :-</p> <p>केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे उप कमान्डेंट (इंजीनियर), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 की श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और समूह 'क' में कुल 15 वर्ष की सेवा एवं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है तथा प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम (ई-गवर्नेंस भवन उपनियमों तथा भवन विद्युतीकरण सहित जूनियर कमान्ड मैनेजमेंट कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।)</p> <p>टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक, के०रि०पु०बल - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. महानिरीक्षक, के०रि०पु०बल - सदस्य 4. महानिरीक्षक, के०रि०पु०बल - सदस्य 	लागू नहीं है

उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले, उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

क. (1) नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी,

अथवा,

(2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा

(3) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 के पद में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

ख. (1) केन्द्र या राज्य सरकार में समूह-क में कुल 15 वर्ष की सेवा की हो।

(2) सिविल कार्यों का 10 वर्षों का अनुभव सहित सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक हो।

टिप्पण 1. :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण 2. :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से

:

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो सेना या वायुसेना या नौसेना की इंजीनियरिंग सेवा के ऐसे अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल या सदृश पदधारण किए हुए हों, पद पर सेवारत हों और एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं, और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए उपरोक्त अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं के संबंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

नोट:- पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	कमान्डेंट (वास्तुकला)	1* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर - 13	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी :-</p> <p>(i) (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हो, अथवा (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा अथवा (ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 के पद में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा</p> <p>(ii) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला में डिग्री और वास्तुकला अधिनियम 1972 (1972 का 20) के अधीन वास्तुकला परिषद से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तथा (ख) वास्तुकला कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि में जिसके अंतर्गत केन्द्र</p>	लागू नहीं है	लागू नहीं है

सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से :

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो सेना या वायुसेना या नौसेना की इंजीनियर (वास्तुकला) सेवा के ऐसे अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल या सदृश पदधारण किए हुए हों और एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं, और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए उपरोक्त अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं के संबंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

नोट:- पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	उप कमान्डेंट (इंजीनियर)	11* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर - 11	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति से। (भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा :- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे सहायक कमान्डेंट (इंजीनियर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 की श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और जिन्होंने यथानिर्धारित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम (फील्ड इंजीनियरिंग एंड डिमोलिसन कोर्स एंड क्वार्टर मास्टर/मोटर ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर कोर्स) सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिदेशक, के०रि०पु०बल - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केरिपुबल - सदस्य 4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू है

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम है, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :-

केन्द्रीय या राज्य सरकारी विभागों के ऐसे अधिकारी :-

- (i) (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं
अथवा
(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 के पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, तथा
- (ii) (क) सिविल कार्य करने का 5 वर्ष के अनुभव सहित सिविल इंजीनियरी में डिग्री हो और

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से :

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जिन्होंने सेना में मेजर या सैनिक अर्थात् बल के ऐसे अधिकारी जो सदृश पदधारण किए हुए हैं या राज्य पुलिस के ऐसे अधिकारी जिन्होंने पुलिस अधीक्षक या सदृश पदधारण किए हुए हैं और जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में

स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास उपरोक्तानुसार विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं के संबंध में भी प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

नोट:- पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	सहायक कमान्डेंट (इंजीनियर)	40* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर - 10	लगू नहीं है	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (सिवाय यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं				सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो																														
(7)				(8)	(9)																														
<p>(i) अनिवार्य</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शारीरिक चिकित्सा का स्तर होना चाहिए :-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>(i)</td> <td>ऊंचाई</td> <td>165 से.मी.</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>सीना</td> <td>81 से.मी. (बिना फुलाए) (फुलाकर 86 से.मी.)</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>वजन</td> <td>ऊंचाई के अनुसार परन्तु 46 कि.ग्र. से कम नहीं होना चाहिए।</td> </tr> </table> <p>(iv) दृष्टि :-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">दृष्टि तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)</th> <th colspan="2">विन्य सुधार दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)</th> <th>अपवर्तन</th> <th>वर्णान्धता</th> <th>अभ्युक्ति</th> </tr> <tr> <th>बेहतर दृष्टि</th> <th>खराब दृष्टि</th> <th>बेहतर दृष्टि</th> <th>खराब दृष्टि</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एन 6</td> <td>एन 9</td> <td>6/9 या 6/12</td> <td>6/9 या 6/12</td> <td>हाइपरमेट्रोपिया (Hypertmetropia) : + 3.50 डीएस, मायोपिया (Myopia) :- 4.5 डीएसएस्टिगमेटिजम (Astigmatism) सहित : +/- 1.50 डीएस टिप्पणी : आयु संबंधी मनोवैज्ञानिक</td> <td>वर्णान्ध नहीं होना चाहिए।</td> <td>-दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के दायीं आंख बेहतर है और इसी प्रकार विपरीत क्रम में। -दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है। - गृह मंत्रालय के यू0ओ0 संख्या : आई.</td> </tr> </tbody> </table>				(i)	ऊंचाई	165 से.मी.	(ii)	सीना	81 से.मी. (बिना फुलाए) (फुलाकर 86 से.मी.)	(iii)	वजन	ऊंचाई के अनुसार परन्तु 46 कि.ग्र. से कम नहीं होना चाहिए।	दृष्टि तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		विन्य सुधार दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	वर्णान्धता	अभ्युक्ति	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि				एन 6	एन 9	6/9 या 6/12	6/9 या 6/12	हाइपरमेट्रोपिया (Hypertmetropia) : + 3.50 डीएस, मायोपिया (Myopia) :- 4.5 डीएसएस्टिगमेटिजम (Astigmatism) सहित : +/- 1.50 डीएस टिप्पणी : आयु संबंधी मनोवैज्ञानिक	वर्णान्ध नहीं होना चाहिए।	-दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के दायीं आंख बेहतर है और इसी प्रकार विपरीत क्रम में। -दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है। - गृह मंत्रालय के यू0ओ0 संख्या : आई.	लागू नहीं है	प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।
(i)	ऊंचाई	165 से.मी.																																	
(ii)	सीना	81 से.मी. (बिना फुलाए) (फुलाकर 86 से.मी.)																																	
(iii)	वजन	ऊंचाई के अनुसार परन्तु 46 कि.ग्र. से कम नहीं होना चाहिए।																																	
दृष्टि तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		विन्य सुधार दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	वर्णान्धता	अभ्युक्ति																													
बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि																																
एन 6	एन 9	6/9 या 6/12	6/9 या 6/12	हाइपरमेट्रोपिया (Hypertmetropia) : + 3.50 डीएस, मायोपिया (Myopia) :- 4.5 डीएसएस्टिगमेटिजम (Astigmatism) सहित : +/- 1.50 डीएस टिप्पणी : आयु संबंधी मनोवैज्ञानिक	वर्णान्ध नहीं होना चाहिए।	-दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के दायीं आंख बेहतर है और इसी प्रकार विपरीत क्रम में। -दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है। - गृह मंत्रालय के यू0ओ0 संख्या : आई.																													

			जराक्षिदोषात्मक 35 वर्ष से ऊपर वालों के होने की संभावना रहती है। इसलिए आयु के अनुसार निकट दृष्टि के लिए निम्नानुसार छूट प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। (यह उपरोक्त वर्णित प्रदान की गई छूट के अतिरिक्त है।) 1. + 1 डीएस 40 वर्ष तक 2. + डीएस 50 वर्ष तक 3. + 3 डीएस 51-60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु।		-145024-1-2008 / पर्स-2 दिनांक 185 / 2012 संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार टेबल में वर्णित निर्धारित मानक के अनुसार लेसिक सर्जरी की अनुमति है। परन्तु लेसिक के सिवाय अन्य किसी अपवर्तन सर्जरी और रेडियल करटोटॉमी (आर.के.) की अनुमति नहीं है।		
<p>उम्मीदवार के आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे और वेरीकोज वेन से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें ऐसी कोई शारीरिक विकृति न हो, जिससे उसे प्रभावी ढंग से ड्यूटी करने में बाधा उत्पन्न हो।</p>							

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन से)	प्रोन्नति द्वारा :- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (ओवरसियर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम (सहायक कमान्डेंट प्रोन्नति कोर्स) पास किया हो। टिप्पण 1. - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह	क) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) महानिदेशक, के0रि0पु0बल - अध्यक्ष (ii) किसी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल का अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक - सदस्य (iii) गृह मंत्रालय का कोई	लागू नहीं है

	<p>तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 2. – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले, उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा :</p> <p>क) (i) केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ (7) में वर्णित सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यता हो।</p>	<p>अधिकारी जो उप सचिव स्तर से नीचे न हो – – सदस्य</p> <p>(iv) किसी केन्द्रीय सैनिक बल का कोई पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य</p> <p>ख) विभागीय स्थायीकरण समिति (सीधे भर्ती अधिकारियों को स्थायी करने के लिए विचारार्थ) निम्नलिखित होगी :-</p> <p>(i) महानिदेशक, केरिपुबल – अध्यक्ष</p> <p>(ii) किसी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल का अपर महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक – सदस्य</p> <p>(iii) गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी जो उप सचिव स्तर से नीचे का नहीं हो – सदस्य</p> <p>(iv) किसी केन्द्रीय अर्धसैनिक बल का पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य</p>	
	<p>टिप्पण 1. – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन से :-</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो सेना में कैप्टन या राज्य पुलिस में सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस</p>		

	<p>उपाधीक्षक पद पर सेवारत हों और एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं, और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए उपरोक्त अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं के संबंध में भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>नोट:- पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--

फाइल सं० एम.पांच-1/2014-पदो०प्रकोष्ठ/स्था०/केरिपुबल

(),
निदेशक (कार्मिक), गृह मंत्रालय